

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (212) निकाशि/अनु/08/ 185

दिनांक:- 9/7/13


आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन अनुसार अकादमी सत्र 2013-14 से निम्न महाविद्यालय को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

पत्रा.सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	विश्वविद्यालय का नाम	आवंटित विषय/ संकाय
212	दियानी कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट, कालवाड-जोबनेर रोड, कालवाड, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व संचालित विषय/ संकाय

1. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी ।
2. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा ।
3. संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है ।
4. महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप किया जायेगा ।
5. निदेशालय द्वारा संस्था का प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करवाया जायेगा ।
6. संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी ।
7. संबंधित विश्वविद्यालय से स्टाफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा ।
8. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
9. संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
10. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है ।
11. संस्था द्वारा एन0एस0एस/एन0सी0सी/रोवरिंग एवं रेंजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा । इसकी सूचना समन्वयक एन0एस0एस0, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित 31 जुलाई, 2013 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करवायेंगे ।
12. राज्य सरकार की महाविद्यालय सम्बन्धी प्रवेश नीति 2013-14 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा ।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।


निदेशक,

कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर ।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
5. सचिव, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।